उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–1093/60–2–2013–2/3(27)/05
लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनमें कुपोषण के सम्बन्ध में समय–समय पर कराये गये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–III के अनुसार उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं तथा प्रदेश में हर दूसरा बच्चा कुपोषित पाया गया है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना सामान्य बच्चों की तुलना में 09 गुना अधिक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चों में लम्बाई के अनुपात में कम वजन होना, किसी भी देश/प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्रदेश में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना के माध्यम से ऑगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं और बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए अनुपूरक पोषाहार का वितरण कराकर कुपोषण की समस्या को दूर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर बच्चों एवं माँ की प्रसव पूर्व जॉच, टीकाकरण एवं आयरन/फोलिक एसिड गोलियों का वितरण किया जाता है तथा चयनित जनपदों में पोषण पुर्नवास केन्द्र स्थापित कर गम्भीर कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाता है। फिर भी प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या अभी बनी हुई है।

2. अतः प्रदेश में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान के लिये सम्यक विचारोपरान्त राज्य पोषण मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु अन्य विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जानी है। इस कम में जनपद स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा ग्राम स्तर तक कुपोषण का वास्तविक आकलन, ऑकड़ो का रखरखाव तथा रणनीति बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा कन्वर्जेन्स के माध्यम से उनका प्रभावी उपयोग भी करना होगा। राज्य सरकार, भारत सरकार तथा यूनिसेफ की मदद से इस समस्या के तात्कालिक तथा दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर इसका प्रभावी समाधान किया जा सकेगा। इस प्रकार राज्य पोषण मिशन द्वारा बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सकेगी।

3. राज्य पोषण मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर संस्थागत स्वरूप निम्नवत है:–

राज्य स्तरीय शासी निकाय

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार : अध्यक्ष

माननीय मंत्री, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	:	सदस्य
माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	:	सदस्य
माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा	:	सदस्य
माननीय मंत्री, ग्राम्य विकास	:	सदस्य
माननीय मंत्री, खाद्य एवं रसद	:	सदस्य
माननीय मंत्री, समाज कल्याण	:	सदस्य
माननीय मंत्री, पंचायती राज्य	:	सदस्य
मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	:	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	:	सदस्य
सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव	:	सदस्य
महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन	:	सदस्य सचिव

कर्तव्य एवं दायित्व

(1) समिति की बैठक वार्षिक रूप से मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत होगी।

(2) राज्य पोषण मिशन की वार्षिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी एवं नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे।

(3) पोषण मिशन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा संसाधनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में सम्यक विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

4. **राज्य पोषण मिशन की विशिष्टियॉ :–**

(1) उक्त मिशन एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जायेगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिये होगा। मिशन के कार्यकाल को आगे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में मिशन के कार्यो की उक्त अवधि में प्राप्त परिणामों की समीक्षा के उपरान्त समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(2) मिशन की दैनिक कार्ययोजना एवं गतिविधियों के लिये कॉरपस फण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त किया जायेगा।

(3) मिशन के कार्यो के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा।

(4) प्रथम चरण में मिशन का कार्य सर्वेक्षण, वज़न नापने की दक्षता एवं आवश्यक पोषण गतिविधियों पर केन्द्रित होगा। इसके लिये आवश्यक मानकों का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

(5) राज्य पोषण मिशन एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में कम अधिकारियों/कर्मचारियों वाली संस्था होगी।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिवगण, मा0 अध्यक्ष
5. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
7. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास।
8. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद।
9. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, नियोजन।
10. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, पंचायती राज।
11. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा।
12. निजी सचिवगण, मा0 मन्त्री जी एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण।
13. निजी सचिव, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
14. समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. महानिदेशक, परिवार कल्याण।
16. निदेशक, आई.सी.डी.एस./राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
17. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ।
18. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार।
20. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव